अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
आदेश

का0आ0सं0–प्र0–7/विविध–04–132/2018– /पटना, दिनांक

पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद अन्तर्गत SH-68 उपहारा से सेनारी पथ के निर्माण कार्य एकरारनामा सं0–02 CMBD/2016–17 मेसर्स विजय कुमार सिंह को आवंटित किया गया था। उक्त कार्य की जांच उड़नदस्ता प्रमण्डल सं0–03 के द्वारा की गयी, जिसमें निम्नवत अनियमितताएँ के लिए उप सचिव, उड़नदस्ता, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–3443 (एस) अनु0 दिनांक–10.05.2018 द्वारा संवेदक मेसर्स विजय कुमार सिंह के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गयी :–

(i) पथ के कि0मी0 3.00 में SDBC Gr-II में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 3.76% पायी गयी है जो प्रावधानिक मात्रा 5.00% से कम है।

(ii) पथ के कि0मी0 3.00 में BM Gr-II में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 2.23% पायी गयी है जो प्रावधानिक मात्रा 3.30% से कम है।

(iii) पथ के कि0मी0 3.00 में WMM materials का FI+EI औसतन 46.50% पाया गया जो प्रावधानिक मात्रा 30% (अधिकतम) से अधिक है।

उक्त अनियमितता के लिये विभागीय पत्रांक–3586 (ई0) दिनांक–25.05.2018 द्वारा संवेदक मेसर्स विजय कुमार सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह के पत्रांक–14/2018 दिनांक–13.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद अन्तर्गत SH-68 उपहारा से सेनारी पथ के निर्माण कार्य में SBDC Gr-II एवं BM Gr-II में अलकतरा की मात्रा क्रमशः 5% एवं 3.3% के विरूद्ध क्रमशः 3.76% एवं 2.23% पायी गयी है, जो निर्धारित Tolerance 4.19% एवं 2.84% से भी काफी कम है। फलस्वरूप संवेदक का सपष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया जिसके कारण सम्यक विचारोपरान्त संवेदक मेसर्स विजय कुमार सिंह को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (ii) एवं विभागीय पत्रांक–4104 (ई0) दिनांक–28.10.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में आदेश ज्ञापांक–1637 (ई0) दिनांक–25.02.2019 द्वारा दो वर्षो के लिए निलम्बित किया गया एवं एकरारनामानुसार प्रावधान से कम अलकतरा की राशि की वसूली का आदेश दिया गया है।

उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध संवेदक मेसर्स विजय कुमार सिंह द्वारा पुनर्विचार हेतु अपील आवेदन दिनांक–01.03.2019 को समर्पित किया गया जिसके आलोक में अपीलीय प्राधिकार के द्वारा

कृ0पृ0उ0

दिनांक–30.04.2019 को 4.00 बजे अपराह्न में अपीलार्थी की सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी का कहना है कि उड़दस्ता प्रमंडल द्वारा की गयी जाँच MORTH एवं पथ निर्माण के दिशा निर्देश के अनुरूप नही है उनका यह कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान Hot Mix Plant से निकले सामाग्री की जाँच विभागीय अभियंताओं द्वारा की गयी उसके बाद उसका उपयोग किया गया। तदनुसार उसका भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत कार्य जून 2017 में पूर्ण हुआ है और अगस्त, 2017 में Flying Squad के द्वारा नमूना संग्रहित किया गया। Flying Squad ने संग्रहित किए गए नमूने में बिटुमिन की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से काफी कम प्रतिवेदित की है। SDBC Gr.-II में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 3.76% पाई गई है, जो प्रावधानित मात्रा 5% से कम है इसी प्रकार BM Gr.-II में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 2.23% पाई गई, जो प्रावधानित मात्रा 3.30% से कम है। कार्य पूर्ण होते ही नमूने संग्रहित हुए, कोई लम्बी अवधि नहीं गुजरी थी, जिसके चलते क्षरण माना जा सके।

उपर्यूक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये गये अलकतरे की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से कम है, फलस्वरूप अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–1637 (ई0) दिनांक–25.02.2019 से भिन्न आदेश पारित करने का कोई आधार नही है। अतएव संवेदक मेसर्स विजय कुमार सिंह का आवेदन दिनांक–01.03.2019 को निरस्त किया जाता है।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र0–7/विविध–04–132/2018– /पटना, दिनांक..................................

निबंधित

प्रतिलिपि :– मेसर्स विजय कुमार सिंह, उत्तरी मंदीरी, छक्कन टोला, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–बुद्धा कालोनी, पटना–1 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र0–7/विविध–04–132/2018– /पटना, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र0–7/विविध–04–132/2018–   /पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, OPRMC Cell, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र0–7/विविध–04–132/2018– 4120(E)/पटना, दिनांक 28/5/19

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

27/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

27/5

upload it
29.5.19
IT Manager
31/05/19

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\RAKESH RANJAN\MS VIJAY KUMAR SINGH.DOCX